

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :—6/अ0-03-10/2015

पटना, दिनांक—

श्रीमती निवेदिता, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना की उनकी प्रथम संतान के लिए बिहार सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-640, दिनांक-19.01.2015 के अनुसार बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम 220A के तहत दिनांक-30.05.2025 से 30.11.2025 तक कुल 185 (एक सौ पचासी) दिनों का शिशु-देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

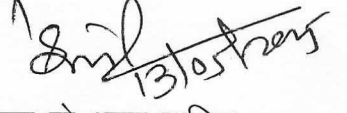
(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/अ0-03-10/2015 2025

पटना, दिनांक—14/05/25

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त—सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती निवेदिता, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।